

MOST URGENT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.14(180)/ V.S.2023/Power/ 2435

Dated: 13/12/2023

To

✓ The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat
Delhi – 110054

Sub: Un-Starred Question No.91

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Un-Starred Question No.91 for 18.12.2023 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Encl. As above

Yours faithfully,



(L.L.MEENA)

Dy. Director (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :- आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या-91

दिनांक :-18.12.2023

प्रश्नकर्ता श्री दुर्गेश पाठक

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए आवश्यक एक्सपर्ट टेक्नीकल कमेटी ईटीसी के अनियमित सत्रों के कारण विधायक निधि के अंतर्गत मेरे द्वारा टीपीडीडीएल को दिया गया प्रस्ताव छह महीने से भी अधिक समय से लंबित है,	जी नहीं। ईटीसी ने सूचित किया है कि टीपीडीडीएल से सम्बंधित परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु कोई मामला उनके पास लंबित नहीं है।
ख) ईटीसी के समक्ष लंबित कुल मामलों की अद्यतन स्थिति क्या है,	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।
ग) क्या ऐसे कोई नियम हैं जिनके अंतर्गत ईटीसी के समक्ष मामलों की सुनवाई हेतु कोई समयावधि निर्धारित की गई हो ताकि परियोजनाओं की समय पर स्वीकृति सुनिश्चित हो सके, और	ईटीसी ने सूचित किया है कि ईटीसी द्वारा मामलों की मंजूरी के लिए ऐसी कोई समय सीमा परिभाषित नहीं की गई है। बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा मामले प्रस्तुत किए जाने पर ईटीसी द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।
घ) यदि नहीं, तो क्या ईटीसी के समक्ष लंबित पुराने मामलों की समस्या के समाधान हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?	ईटीसी ने सूचित किया है कि ईटीसी समिति बिना किसी देरी के प्राप्त मामलों को मंजूरी देती है तथा ईटीसी के समक्ष लंबित पुराने मामलों की समस्या के समाधान हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।


(एल.एल. मीणा)
उप-निदेशक (ऊर्जा)
L. L. Meena
Dy. Director (Power)
GNCTD, Delhi Sectt.